राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक प.6(58)प्रसु/अनु–3/2008 जयपुर, दिनांक : 20.1.2010

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19.09.2008 द्वारा श्रीमती कृष्णा भटनागर, IAS (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में एक वेतन उच्चीकरण एवं वेतन विसंगति निवारण समिति (Upgradation and Pay Anomalies Redressal Committee) का गठन किया गया था। तत्पश्चात् समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.02.2009, 03.07.2009 एवं दिनांक 09.11.2009 द्वारा उक्त समिति का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 19.05.2009, 19.09.2009 एवं 31.12.2009 तक बढ़ाया गया था।

समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं केन्द्रीय कर्मचारियों के समतुल्य पदों के कर्त्तव्यों, भर्ती एवं पदोन्नति के तरीकों का परीक्षण करने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों से सूचना चाही गई है, जो अभी तक कुछ विभागों से प्राप्त होना अपेक्षित है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उनका तुलनात्मक दृष्टि में परीक्षण किया जाकर रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी, जिसमें समय लगना संभावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर्मचारी संगठनों से समय–समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी व्यक्तिगत सुनवाई अभी शेष है।

अतः उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 31.03.2010 तक अन्तिम बार बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदया, एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

20.1.010
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया/ प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत आईएएस।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. विशेषाधिकारी, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. समिति से संबंधित समस्त सदस्यगण।
9. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

Vashishtha;D:Rules/Jain/Order-23.doc